रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293] नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 1974/आषाढ़ 8, 1896
No. 293] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 1974/ASADHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 29th June 1974

.O. **402(E)/18FB/IDRA/74.**—Whereas by the Order of the Government of in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial -oment) No. S.O. 200(E)/18FB/IDRA/73, dated the 5th April, 1973 (herein- ferred to as the said Order), the Central Government in exercise of the conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Develop- Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all or contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or iments in force immediately before the publication of the said Order Gazette to which the Industrial undertaking known as the Refractory imgarh in Hazaribagh District in the State of Bihar belonging to Sillimanite Limited is a Party or which may be applicable to the undertaking, shall remain suspended upto the 30th June, 1973 and eges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder ate shall remain suspended upto the 30th June, 1973.

And whereas the Central Government in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) by Orders No. S.O. 362(E)/IDRA/73 dated the 30th June, 1973, No. S.O. 452(E)/18FB/IDRA/73, dated the 30th August, 1973 and No. S.O. 796(E)/18FB/IDRA/73, dated the 28th December, 1973, extended the duration of the said Order upto the 31st August, 1973, 31st December, 1973 and upto the 30th June, 1974, respectively;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended further upto the 31st December, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 31st December, 1974.

[No. F.25/8/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 1974

का० आ० 402(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/74.—यत: केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 200 (ई०)/18 एफ बी/आई० डी० आर० ए /73 तारीख 5 अप्रैल, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा यह घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या कोई संविदा, सम्पत्ति के हस्तांतरणपत्र, करार, परिनिर्धारण अधिनिर्णय, या अन्य लिखित जिसका, जो बिहार राज्य में जिला हजारीब में रामगढ़ के निकट रीफ्रैक्टरी प्लांट नामक औद्योगिक उपक्रम, पक्षकार है या जो उक्त उपक्रम को लागू किए जा सकते हैं, 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख के अधीन प्रोद्भूत होने वाले या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, पद्धतियां औ 30 जून, 1973 तक निलम्बित रहेंगे ।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विक
आदेश संख्या का०आ० 362(ई०)/आई डी आर ए/73, तारीख 30 जून, 1973, स
(ई०)/18 एफ बी/आई डी आर ए/73, तारीख 30 अगस्त, 1973 और सं० का
18 एफ बी/आई डी आर ए/73, तारीख 28 दिसम्बर, 1973 द्वारा उक्त
क्रमश: 31 अगस्त, 1973, 31 दिसम्बर, 1973 और 30 जून, 1974 त

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो चुका है कि उक्त आदेश की अवधि 31 दिसम्बर, 1974 तक के लिए और बढ़ा दी जाए ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 31 दिसम्बर, 1974 तक के लिए बढ़ाती है ।-

[सं० फा० 25/8/72-सी०यू०सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974